मुन0 18/25 जब्बार बनाम तहसीलदार

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 18/2025 तारीख रजू :– 25.08.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस.

अब्दुल जब्बार पुत्र हसन अली आयु 80 साल जाति मुसलमान निवासी काजीपाडा तहसील टोडाभी, जिला करौली (राज0)

वादी

बनाम

1. तहसीलदार टोडाभीम, जिला करौली (राज0)

प्रतिवादी

दावा बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1 श्री जाकिर खान एडवोकेट वादी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 13.01.2026

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि खाता संख्या नया 554 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1444, 1494, 1539, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1606, 1629, 1638, 1639, 1641, 1868, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1957, 1958, 1959, 2005 कुल किता 31 कुल रकवा 13.48 है0 स्थित 11 विस्वा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, करौली (राज0) है, जिसमें वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है।

यह है कि खाता संख्या नया 555 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 1541, 1550 कुल किता 2 कुल रकवा 0.22 है0 स्थित 11 विस्वा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, करौली (राज0) है, जिसमें वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है।

वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नाम नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने गफलत व लापरवाही से वादी के सही

नाम **अब्दुल जब्बार के स्थान पर जब्बार अहमद** दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादी का सही नाम **अब्दुल जब्बार पुत्र हसन अली** है। जबकि वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में अब्दुल जब्बार नाम दर्ज है, जो पूरी तरह से सही एवं सत्य नाम है।

वादी किसान सम्मान निधि लेने हेतु जमाबंदी निकलवाई तब जाकर वादी को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। वादी को गलत इन्द्राज का पता चलते ही वादी दिनांक 20.08.2025 को तहसील टोडाभीम में गया और तहसीलदार जी टोडाभीम से राजस्व रिकॉर्ड में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी टोडाभीम ने राजस्व रिकॉर्ड में हुए उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने से मना कर दिया और वादी से न्यायालय में चाराजोही करने को कहा जिस कारण यह दावा श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

कि दावा वादी इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नामन्तकरण ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम में स्थित आराजीयात वर्णित मुतजिक्रा मद नम्बर 01 व 2 वाद पत्र में वादी के गलत नाम **जब्बार अहमद** को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम **अब्दुल जब्बार** दर्ज किया जावे तथा इसी अनुरूप समस्त राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी व नामान्तकरण में अमल दरामद किया जावे

दावा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी (तहसीलदार टोडाभीम) को जरिये सम्मन तलब किया गया है पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार जबाव पेश किया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की जमाबंदी के खाता संख्या 555 पर कुल किता 02 रकबा 0.22 है0 में वादी का नाम जब्बार अहमद पुत्र हसनअली हिस्सा 1/8 जाति मुसलमान देह रिकार्ड दर्ज है। खाता संख्या 554 पर कुल किता 31 कुल रकबा 13.48 है0 में वादी का नाम **जब्बार अहमद** पुत्र हसनअली 1/8 जाति मुसलमान देह रिकार्ड दर्ज है। वादी **जब्बार पुत्र हसनअली** का नाम राजस्व रिकार्ड में साबिक नामान्तकरण संख्या 1046 विरासत के द्वारा दर्ज हुआ है। दस्तावेज एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार अब्दूल जब्बार व जब्बार अहमद एक ही व्यक्ति है।

वादी वकील व पैराकार सरकार की बहस सुनी गई वादी वकील द्वारा दौराने बहस बताया कि खाता संख्या नया 554 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1444, 1494, 1539, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1606, 1629, 1638, 1639, 1641, 1868, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1957, 1958, 1959, 2005 कुल किता 31 कुल रकवा 13.48 है0 स्थित 11 विस्वा टोडाभीम, तहसील

टोडाभीम, करौली (राज0) है, जिसमें वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। खाता संख्या नया 555 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 1541, 1550 कुल किता 2 कुल रकवा 0.22 है0 स्थित 11 विस्वा टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, करौली (राज0) है, जिसमें वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। वादी के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नाम नामान्तकरण खोलते समय तहसील कर्मचारियों ने सहवन से वादी के सही नाम अब्दुल जब्बार के स्थान पर जब्बार अहमद दर्ज कर दिया है, जो गलत इन्द्राज किया है, जबकि वादी का सही नाम अब्दुल जब्बार पुत्र हसन अली है। जबकि वादी के समस्त सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में अब्दुल जब्बार नाम दर्ज है, जो पूरी तरह से सही एवं सत्य नाम है।

पैराकार सरकार द्वारा बहस में बताया कि ग्राम टोडाभीम 11 विस्वा की जमाबंदी के खाता संख्या 555 व 554 में वादी का नाम जब्बार अहमद पुत्र हसनअली है। वादी जब्बार अहमद पुत्र हसनअली का नाम राजस्व रिकार्ड में साबिक नामान्तकरण सख्या 1046 विरासत के द्वारा दर्ज हुआ दस्तावेज एवं फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार अब्दूल जब्बार व जब्बार अहमद एक ही व्यक्ति है।

मैने वादी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम, के खाता संख्या नया 554 में दर्ज आराजी हाल खसरा नम्बर 1342, 1343, 1344, 1444, 1494, 1539, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1606, 1629, 1638, 1639, 1641, 1868, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1938, 1941, 1957, 1958, 1959, 2005 कुल किता 31 कुल रकवा 13.48 है0 जिसमें वादी 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा शेष हिस्से के जमाबंदी में दर्ज सहखातेदार काश्तकार है। में वादी का नाम **अब्दुल जब्बार** दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **जब्बार अहमद** पुत्र **हसनअली** व **अब्दुल जब्बार** पुत्र **हसनअली** एक ही व्यक्ति का नाम है।

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

आदेश

मुन0 18/25 जब्बार बनाम तहसीलदार

आदेश

अतः जमावंदी ग्राम 11 विस्वा टोडाभीम, के खाता संख्या नया 554 व 555 में वादी का नाम **जब्बार अहमद** पुत्र **हसनअली** के स्थान पर **अब्दुल जब्बार** पुत्र **हसनअली** अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक 13.01.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(अमन चौधरी R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम, जिला करौली